तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं... अहल... हुक्म... में जारी...
21.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत डंगाली में पेश हुई। पक्षकारान को समन बाद तामील प्राप्त हुए। वकील अपीलांट मय अपीलांट उपस्थित। उत्तरदाता क्र. 2 उपस्थित। अपीलांट मय उत्तरदाता क्र. 1 व 2 के बयान कलमबद्ध कर शामिल मिसल किये गये। बहस सुनी गई। अपीलांट की अपील अन्दर धारा स्वीकार कर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	केवलराम भेराराम Adv. (अपीलान्ट)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.डण्डाली)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–24 / 2018

अपीलाण्ट	**बनाम**	उतरदातागण
देवाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी सेवरों की ढाणी (डण्डाली) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली 2.भैराराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी सेवरों की ढाणी (डण्डाली) 3.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक–21.5.2018

1.संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है,कि अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सेवरों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 307,308 कुल रकबा 120–18 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर बहिस्सा अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारी उनके पिता रामाराम के फोत होने पर भरे गये नामान्तकरण संख्या 57 से प्राप्त हुए है। लेकिन उक्त नामान्तकरण में अपीलाण्ट का गलत नाम केसा दायर किया गया। जबकि अपीलाण्ट का सही नाम देवाराम है। अपीलाण्ट द्वारा केसा के स्थान पर देवाराम नाम दुरूस्त करवानें की इस्तादुआ चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

2.अपीलाण्ट की अपील के संबध में हल्का पटवारी डण्डाली से तथ्यात्मक जांच रिर्पोर्ट तलब की गई। एवं अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 1 व 2 के बयान कलमबद्व किये गये।

3.हमनें उभयपक्ष को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात,नामान्तकरण संख्या 57,बयानात एवं रिर्पोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि मूल ग्राम डण्डाली वर्तमान राजस्व ग्राम सेवरों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 307,308 कुल रकबा 120–18 बीधा भूमि अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 के पिता रामाराम की खातेदारी आई हुई थी। रामाराम के फोत होने पर उसके वारिसान अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 के नाम नामान्तकरण संख्या 57 पारित किया गया। जिसमें अपीलाण्ट का नाम देवाराम के स्थान पर केसा दायर किया गया। जो नामान्तकरण संख्या 57 के अवलोकन से स्पष्ट है। जबकि अपीलाण्ट के भाई देवाराम ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि अपीलाण्ट उसका सगा भाई है और विवादित भूमि में अपीलाण्ट का गलत नाम केसा दायर किया गया है। जबकि अपीलाण्ट का सही नाम देवाराम है,यही उतरदाता संख्या 1 ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि अपीलाण्ट का सही नाम देवाराम है। एवं हल्का पटवारी ने भी अपनी रिर्पोर्ट में स्पष्ट किया है,कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम देवाराम है। केसा रिकार्ड में गलत नाम दायर हो रखा है। और रिकार्ड में दर्ज केसा के स्थान पर देवाराम नाम दायर किये जाने की अनुशंसा की गई है। अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 ने विवादित भूमि में राजीनामा पेश किया गया है। जिसमें उतरदाता संख्या 2 ने स्वीकार किया है कि अपीलाण्ट का नाम केसा के स्थान पर देवाराम दुरूस्त किया जाता है। तो कोई आपत्ति नहीं है। एवं पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेज यथा–वोटर कार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में अपीलाण्ट का नाम देवाराम अंकित है। इससे भी साबित होता है,कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम देवाराम है। एवं मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया कि अपीलाण्ट का रिकार्ड में केसा गलत नाम दायर हो रखा हैं और उसका वास्तविक नाम देवाराम है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट साबित होता है। कि अपीलाण्ट का रिकार्ड में केसा गलत नाम दायर हो रखा है। और केसा के स्थान पर सही नाम देवाराम दुरूस्त करवानें का अपीलाण्ट हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

3. लिहाजा अपीलाण्ट की अपील राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर **ग्राम सेवरों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 307,308 कुल रकबा 120—18 बीधा भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि केसा के स्थान पर देवाराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21-5-18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned by CamScanner